



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35887

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2425 वर्ष 2026

रीतेश कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता

: कैलाश प्रकाश पाण्डेय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रकाश पाण्डेय तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याची का अभ्यावेदन यह है कि याची का स्थानांतरण जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ से जनपद इटावा किया गया। याची को दिनांक 23.09.2025 को कार्यमुक्त किया गया तथा उसने दिनांक 30.09.2025 को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया, तथापि याची को अंतिम वेतन प्रमाणपत्र इस आधार पर प्रदान नहीं किया जा रहा है कि फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद में प्रत्यर्थीगण द्वारा आवंटित आवास अभी तक रिक्त नहीं किया गया है, जबकि याची की पुत्रियाँ अंशिका एवं अन्वेष क्रमशः कक्षा 9 एवं कक्षा 6 में फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद में अध्ययनरत हैं। इस संदर्भ में दिनांक 21.11.2016 के परिपत्र तथा रिट-ए संख्या 19199 (विजय बहादुर एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) वर्ष 2025, जिसका निर्णय दिनांक 18.12.2025 को हुआ, पर निर्भरता व्यक्त की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि जो भी स्थिति हो, तथापि इस संबंध में कोई स्पष्ट लिखित निर्णय उपलब्ध नहीं है, अतः इस विषय में प्रत्यर्थी संख्या 3, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद द्वारा समुचित एवं विचारित निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

4. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याची दिनांक **27.02.2026** तक एक सम्यक अभ्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 3, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 3 याची के अभ्यावेदन पर विधि के अनुसार विचार करते हुए, छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय पारित करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

दिनांक : 18 फरवरी 2026

राजेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”